न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/20/2019	03–06–2019	20–06–2019

1– अशोक कुमार पुत्र चन्दीराम उर्फ चांदी राम जाति खत्री (सिंधी)।
2– अखलेश पुत्र चन्दीराम उर्फ चांदी राम जाति खत्री (सिंधी)।
3– नरेश कुमार पुत्र चन्दीराम उर्फ चांदी राम जाति खत्री (सिंधी)।
4– विमल कुमार पुत्र चन्दीराम उर्फ चांदी राम जाति खत्री (सिंधी) निवासीयान किशनगढ़–बास तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

1– कमल लाल पुत्र किशन लाल जाति अहीर
2– सुलतान सिंह पुत्र किशन लाल जाति अहीर
3– अजीत सिंह पुत्र किशन लाल जाति अहीर निवासीयान किशनगढ़–बास तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री मनीष कुमावत –वकील प्रार्थी
02. श्री जनार्दन शर्मा –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी कमल लाल बनाम अशोक कुमार को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के पूर्वज श्री त्रिलोकामल के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 2298(80) दिनांक 09.09.1980 के विरूद्ध अपील दायर की थी। उक्त अपील में त्रिलोकामल के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया। केवल प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया था। उक्त अपील प्रार्थीगण को बिना सुने दिनांक 20.08.2008 को स्वीकार कर ली तथा प्रकरण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास के न्यायालय में इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलांटान् को सुनकर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2010 को पत्रावली पर–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

कार्यवाही कर पक्षकारान् को तलब किये जाने के आदेश किये तथा आगामी दिनांक 04.05.2010 नियत की गई। उक्त पेशी पर आगामी दिनांक 26.03.2019 लिखी गई जिसमें रैस्पोडेन्ट्स की ओर से वकील उपस्थित होन दर्ज कर आगामी पेशी 11.04.2019 नियत की गयी। जिसमें प्रार्थीगण की तामील चस्पानगी से दिखाकर प्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज की गई तथा बाद में दिनांक 29.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीमान् की आदेश की पालना का हवाला देते हुए इंतकाल संख्या 779 फैसला दिनांक 17.12.1993 पर पूर्वानुसार खातेदारी दिये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के वकील के ऐतराज के बावजूद गैरखातेदारी का अंकन किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2019 के बाद आगामी पेशी 06.06.2019 नियत की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया गया कि उन्हें दस्तावेजात् लेने में समय लगेगा इसलिये आगामी पेशी 06.06.2019 के बजाय आगे दी जावें। जिस पर पीठासीन अधिकारी महोदय ने कहां कि प्रकरण मे लम्बी तारीख नहीं दी जावेगी तथा ये भी कहां कि आपको जो भी कार्यवाही करनी है दिनांक 06.06.2019 को करो। पीठासीन अधिकारी महोदय् ने कहां कि अप्रार्थी द्वारा जो साक्ष्य पेश किये गये है। उससे उनका केस मजबूत है एवं उस साक्ष्य के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय किया जावेगा। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी राय स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी है। जिससे प्रार्थीगण को पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय् उनके विरूद्ध निर्णय करेंगे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बउनवान कमल लाल बनाम अशोक कुमार संख्या 1/08 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि मुन्तकिल प्रा0पत्र में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास से न्याय की उम्मीद नहीं होना जाहिर किया है। जबकि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास द्वारा विधिवत् तरीके से साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य बन्द करने की कार्यवाही की गई है। फिर भी यदि उक्त मुकदमें को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि इजराय कमांक/कोर्ट/एडीएमप्रथम/2007/232 दिनांक 08.08.2008 के द्वारा तहसील में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। जिसमें कब्जा काश्त कमल लाल वगै0 का बताया गया। यदि प्रार्थीगण के कोई अन्य वारिस थे तो उनके लिये प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 पेश किया जाना चाहिए था। इनके द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजात् प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 14.11.2008 को नोटिस जारी किये गये। अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 06.03.2019 को पुनः नोटिस जारी किये गये। नोटिस विधिवत् रूप से तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट पर दो गवाह के समक्ष खुले मकान पर चस्पा किये गये। नियत तिथि पर रैस्पो0 उपस्थित नहीं हुए। इसके पश्चात् दिनांक 02.05.2019 को अपीलांट उपस्थित हुए। साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत किये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

A.T.O.

नियमानुसार उज्रदारी पेश करने हेतु दिनांक 04.05.2019 को पंजाब केसरी में नोटिस का प्रकाशन कराया गया। जिसमें पक्षकारान् दिनांक 29.05.2019 को रैस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा मौखिक उज्रदारी पेश की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 20.08.2008 द्वारा अपीलांट को सुनकर सनद् को संशोधित करते हुए पुनः सुनवाई के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना की गई है तथा नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली में तारीख पेशीयों में पर्याप्त समय दिया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे व मनघडंत है। बहस के दौरान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में सहमति जाहिर की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास में विचाराधीन प्रकरण कमल लाल बनाम अशोक कुमार को न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा में मुन्तकिल किया जाता है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़–बास तत्काल उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा को भिजवाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार मालाखेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् करें।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20–06–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)